न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 12/2023

प्रार्थीगण :–

रामलाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल
निवासी मेघवालो का धोरा, बालोतरा तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. तेजाराम पुत्र पुराराम जाति जाट
   निवासी गौर कॉलोनी , बालकनाथ कुटिया महादेव मन्दिर के पास, बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
2. भोमाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी कितपाला तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
3. रमेश पुत्र बुधाराम जाति विश्नोई,
4. रोहित पुत्र बुधाराम जाति विश्नोई निवासी मेडिकल शॉप, मुंगडा, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।
5. हनुमानराम जोगसन पुत्र हंजारीमल जोंगसन जाति मेघवाल निवासी नेहरू कॉलोनी, मेघवाल का वास, बालोतरा निवासी पचपदरा, जिला बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

3. श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता , प्रार्थीगण अधिवक्ता
4. विप्रार्थी संख्या 1 से 05 एक पक्षीय

‘आदेश’ दिनांक :– 9.6.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा जेरला, पटवार हल्का रामसीन, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1060/118 रकबा 2.02 बीघा अर्थात 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 674/118 रकबा 1.9830 हैक्टेयर ,[illegible] 675/118 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित [illegible] शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा [illegible] की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा क[illegible]कर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:37 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

इस कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम मौजा जेरला, पटवार हल्का रामसीन, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1060/118 रकबा 2.02 बीघा अर्थात 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 674/118 रकबा 1.9830 हैक्टेयर ,खसरा संख्या 675/118 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा जेरला, पटवार हल्का रामसीन, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1060/118 रकबा 2.02 बीघा अर्थात 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 674/118 रकबा 1.9830 हैक्टेयर, खसरा संख्या 675/118 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थीगण वकील की बहस सु[illegible] तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात [illegible] का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का वि[illegible] । जिसमे पाया कि मौजा जेरला, पटवार हल्का रामसीन, भू. अभिलेख [illegible]क्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1060/118 रकबा 2.02 बीघा अर्थात 0.3399 हैक्टेयर, व विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की खसरा संख्या 674/118 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:37 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.9830 हैक्टेयर , विप्रार्थी संख्या 05 की भूमि खसरा संख्या 675/118 रकबा 0.3399 हैक्टयर भूमि की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जेरला, पटवार हल्का रामसीन, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 1060/118 रकबा 2.02 बीघा अर्थात 0.3399 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के खसरा संख्या 674/118 रकबा 1.9830 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 05 ,खसरा संख्या 675/118 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, एवं खसरा संख्या 1060/118 के दक्षिण मे जुडता कटाण रास्ता है जो गैर मुमकिन सडक है, जो सही नही है जो ध्यान मे रखते हुए दुररूत की जावे । उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 9.06.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:37 IST
Reason: SelfAttested